निविदा एवं संविदा की सामान्य शर्तेः–

01. विद्यालय वाहन किराये हेतु मोहरबन्द निविदाऐ संलग्न प्रारूप के अनुसार अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय, छान जिला टोंक के लिए **दिनांक.** 01.07.2019 समय **सायः** 2.00 बजे तक आमत्रित की जाती है।

02. निविदा लिफाफे पर जिस सामान/कार्य के लिए निविदा भरी गई है का उल्लेख किया जाना चाहिए । जैसे वाहन किराया (अनुबन्ध आधार) हेतु निविदा निविदाऐ **प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय,छान जिला टोंक को भेजी जानी चाहिए है।**

03. निविदा प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय,छान जिला टोंक में प्राचार्य कक्ष मे **दिनांक.** 01.07.2019 को **साय** 3.30 बजे खोली जायेगी।

04. निविदा फार्म की शर्तो, जिनका उल्लेख इस फार्म में किया जा रहा है, के अनुसार भरी जानी चाहिए तथा निविदादाता को फार्म की शर्तो की सहमति पर **हस्ताक्षर अंकित करने अनिवार्य है।**

05. निविदा में दर्शाई गई दरें सभी करों जैसेः– परिवहन टेक्स/ब्रिक्री कर/उत्पाद शुल्क/जीएसटी/अन्य कर सहित होनी चाहिए ।

06. निविदा फार्म साफ सुथरा पैन द्वारा या टाइप द्वारा भरा जाना चाहिए तथा किसी भी प्रकार की काट–छाट नहीं होनी चाहिए। यदि किसी प्रकार का परिर्वतन/संशोधन करना हो तो साफ तरीके से किया जाना चाहिए तथा परिर्वतन पर हस्ताक्षर व दिनांक का उल्लेख होना चाहिए । निविदाकर्ता के हस्ताक्षर के अभाव मे निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा ।

07. अद्योहस्ताक्षरकर्ता किसी भी निविदा को स्वीकृत करने के अधिकार को अपने पास सुरक्षित रखता है तथा न्यूनतम दर देने वाले निविदा दर को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है व किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये रद्व कर सकता है ।

08. निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता व निविदाकर्ता के बीच एक अनुबन्ध होता है तथा स्वीकृत निविदादाता निविदा की शर्तो के अनुरूप कार्य करेगा ।

09. निविदा के साथ निर्धारित धरोहर राशि (अरनेस्टमनी) **रू0** 25000/– बैक डाफ्ट द्वारा भेजी जानी/जमा करानी हागी धरोहर राशी के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा । **बैक डाफ्ट UBI, टोंक/अन्य बैंक जिसका भुगतान टोंक में देय हो प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय,छान के नाम देय होना चाहिए।** जिन निविदादाताओं की निविदाए स्वीकार नहीं होगी उन्हें अरनेस्टमनी निविदा की अंतिम स्वीकृति होने की तारीख से एक माह के भीतर बिना ब्याज के चेक/डी.डी. द्वारा लोटा दी जायेगी ।

10. निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता व निविदाकर्ता के बीच एक अनुबन्ध होगा तथा स्वीकृत निविदादाता/निविदा की शर्तो के अनुरूप कार्य करेगा । विद्यालय द्वारा स्वीकृत निविदा की सुरक्षित जमा राशि को अनुबन्ध समाप्ति के 6 माह तक सुरक्षा की दृष्टि से रोका जायेगा ताकि अगर अनुबन्ध की अदायगी में कोई त्रुटी पायी जायेगी तो उसका निपटारा सुरक्षित जमा राशि से किया जा सके ।

11. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत होगी उसे अनुबन्ध प्रपत्र में लिखी गयी समय सीमा के भीतर विद्यालय में गाड़ी सुपूर्द करनी होगी । यदि अनुमोदित निविदादाता संबंधित अवधि के भीतर गाड़ी को मय चालक के सुपूदर्गी करने में असफल रहता है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह अनुबन्ध को समाप्त कर दे तथा विद्यालय के आवश्यकतानुसार किसी अन्य फर्म/व्यक्ति से गाड़ी की आपूर्ति कर अनुबन्ध को पूरा करा ले या खुले बाजार से किराये की गाड़ी की आपूर्ति करा ले । इस कार्य के लिए दर आधिक्य संबंधित निविदादाता के भुगतान/धरोहर/सुरक्षा राशि से समायोजित किया जायेगा ।

12. किराये किये जाने वाले वाहन की अनुबन्ध अवधि 10 माह के लिए होगी (ग्रीष्मावकाश के अतिरिक्त)। अनुबन्ध किया गया वाहन मय वाहन चालक 24 घण्टे विद्यालय परिसर में रहेगा ।

13. किराये किये गये वाहन के साथ संबंधित निविदादाता को गाड़ी का वाहन चालक भी लगाना होगा जिसकी ड्यूटी गाड़ी के साथ होगी।

14. संबंधित विद्यालय, जहॉ गाड़ी लगायी जायेगी के द्वारा गाड़ी के केवल डीजल का खर्च गाड़ी की लॉक बुक के अनुसार वहन किया जायेगा । अन्य सभी प्रकार के वाहन संबंधित खर्चे जैसे वाहन चालक का वेतन तेल व ल्यूब्रीकेट्स (Oil and Lubricants) मरम्मत एवं रिपेयर गाड़ी संबंधित अन्य उपकरण बदलने का खर्च तथा गाड़ी की सर्विसिंग (Servicing) इत्यादि खर्चो की जिम्मेदारी निविदादाता तथा गाड़ी के मालिक की होगी ।
15. मोटर वाहन अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों जैसे कि लेबर अधिनियम व इस संबंध में समय–समय पर जारी सभी प्रकार के सरकारी अधिनियमों की पूर्ण पालना की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा इन अधिनियमों के अन्तर्गत होने वाले खर्चे व दण्डनीय खर्च की जिम्मेदारी भी निविदादाता/गाड़ी के मालिक की होगी ।
16. निविदादाता को संलग्न प्रपत्र के अनुसार गाड़ी का किराया प्रतिमाह (01 वर्ष को 10 माह) मानते हुए देना है तथा एक बार अनुबन्ध दो वर्ष (प्रत्येक वर्ष 10 माह का मानते हुए) का भी किया जा सकता है ।
17. गाड़ी के किराये का भुगतान प्रतिमाह आधार पर विद्यालय द्वारा चेक/डी.डी. के माध्यम से किया जायेगा । किसी भी प्रकार का बैंक खर्च निविदादाता द्वारा देय होगा ।
18. गाड़ी विद्यालय परिसर में प्राचार्य के निर्देशन व अधीन रहेगी ।
19. वाहन चालक को जहॉ तक सम्भव होगा विद्यालय परिसर में उपलब्ध भवन में रहने के लिए जगह प्रदान की जायेगी तथा विद्यालय में उपलब्ध्ध मेस में भोजन करने की स्वीकृति भुगतान के आधार पर प्रदान की जायेगी जैसा कि निविदा फार्म की शर्त सं0 14 में यह दर्शाया गया है कि गाड़ी की सर्विस व रखरखाव की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी । यह भी बताया जा रहा है कि गाड़ी की सर्विस रखरखाव संबंधित नियम निम्नवत् होगे ।
    (a) रखरखाव व सर्विस (Mainteance and servicing) के लिए महीने में एक दिन तथा पूरे वर्ष में 10 दिन दिये जायेगे ।
    (b) गाड़ी विशेष मरम्मत के लिए चार दिन से ज्यादा नहीं भेजी जायेगी तथा जब चार दिनो से अधिक पाचवे दिन विद्यालय वाहन रोका जायेगा तो निविदादाता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह विद्यालय को दूसरा वाहन उपलब्ध कराये । यदि निविदादाता दूसरी गाड़ी उपलब्ध नहीं करा पाता है तो प्रत्येक दिन के लिए विद्यालय द्वारा किराये की गयी गाड़ी का वास्तविक भुगतान या रू0 600/– प्रतिदिन जो दोनो में ज्यादा होगा संबंधित निविदादाता से वसूल किया जायेगा।
    (c) उपरोक्त बी के अनुसार चार दिन वर्ष में दो बार प्रत्येक 5 महीने में एक बार प्रदान किये जायेगे ।

20 गाडी का उपयोग संबंधित राज्य की सीमा में किया जोयगा । गाड़ी टैक्सी परमिट होना अनिवार्य है ।

21 निविदादाता को यह भी बताया जा रहा है कि गाड़ी की आवश्यकता जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि आवासीय विद्यालय है जहॉ लड़के व लड़कियों की सह शिक्षा संचालित होती है, के लिए है । अतः गाड़ी के मालिक का यह दायित्व होगा कि वे प्रभावशाली व उपयोगी सेवा विद्यालय को प्रदान करे व वाहन चालक का व्यवहार, आचरण मर्यादित व आवासीय विद्यालय के अनुरूप होना चाहिए ।

22 यदि वाहन चालक की सेवाए दोषपूर्ण तथा मर्यादित नहीं पायी जाती है तो अधोहस्ताक्षरी कर्ता को यह अधिकार होगा कि अनुबन्ध को किसी भी समय बिना पूर्व सूचना या नोटिस के समाप्त कर दे अथवा दूसरे वाहन चालक की मांग कर ले ।

23 निविदादाता को गाड़ी के साथ वाहन चालक को विद्यालय में लगाने से पूर्व वाहन चालक चरित्र से संबंधित पुलिस थाना से सत्यापित करवाना होगा तथा पुलिस सत्यापित मूल प्रति विद्यालय में देनी होगी । वाहन चालक अनुज्ञाधारी होना आवश्यक है ।

24 आयकर विभाग द्वारा जारी स्त्रोत पर आयकर कटौति के नियमानुसार टी.डी.एस. काटकर भुगतान किया जायेगा ।

25 यदि विद्यालय स्वयं का नियमित वाहन चालक किराये के वाहन को चालने के लिए उपलब्ध कराता है तो स्वीकृत निविदादर में से रू0 10000/– प्रतिमाह कम भुगतान विद्यालय द्वारा संबंधित निविदादाता को किया जायेगा ।

26 निविदादाता यह भी सुनिश्चित करे विद्यालय को उपलब्ध कराये जाने वाला **वाहन का मॉडल वर्ष 2019** से पूर्व का नहीं हो तथा वाहन टैक्सी परमिट होना अनिवार्य है ।

27 अनुबन्ध हेतु उपलब्ध कराया जाने वाले गाड़ी का मॉडल 2019 महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा पिक अप (डबल कब) **DI** इंजन 05 सीटर मय टॉली होना चाहिए।

28 सभी विवादो का न्याय क्षेत्र जिला मुख्यालय टोक होगा ।

प्राचार्य
जवाहर नवोदय विद्यालय,
छान, जिला–टोक

निविदा प्रपत्र में उपरोक्त सभी शर्ते हमें मान्य है ।

दिनांक :–

स्थानः–

हस्ताक्षर

निविदा भरने वाले का नाम व पता

दूरभाषः–

मोबाईल नम्बर

गवाह के हस्ताक्षर नाम व पूरा पता

1...

....

2..

....

रू0 200/— रसीद सं................................ दिनांक ....

प्राचार्य

जवाहर नवोदय विद्यालय,छान जिला टोंक(राज.)

वाहन किराया अनुबन्ध निविदादर प्रपत्र

फर्म का नाम व पता :.———————————————————————————————

————————————————————————————————

विवरण	वाहन का प्रकार	वाहन किराया चालक सहित (रू0 में प्रतिमाह)	विशेष
वाहन किराया प्रतिमाह (निविदा प्रपत्र के साथ सलग्न निविदा शर्तो के अनुसार)	महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा पिक अप (डबल कब) **DI** इंजन 05 सीटर मय टॉली/बुलेरो 9 सीटर (मॉडल 2019 से पूर्व का न हो)		

स्थानः— निविदादाता के हस्ताक्षर

दिंनाकः— नाम ....

मोहर सहित